तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की

न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा

प्रकरण संख्या 19/2026 रे0फो0

राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रकांत

1

दिनांक : 07.03.2026

सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित।

अभियुक्त उदयलाल की मृत्यु होने से दिनांक 23.04.2015 को कार्यवाही ड्रॉप की गई।

अभियुक्त नारायणलाल की मृत्यु होने से दिनांक 13.03.2019 को कार्यवाही ड्रॉप की गई।

अभियुक्त नाथूलाल को दिनांक 13.11.2024 को आरोपित अपराध से उन्मोचित किया गया।

अभियुक्त अशोक कुमार को दिनांक 08.10.2024 को मफरूर किया गया।

अभियुक्त गिरिराज गुर्जर मय **अधिवक्ता श्री भरत गुर्जर उपस्थित।**

अभियुक्त चन्द्रकांत व शंभुसिंह अनुपस्थित। **अधिवक्ता श्री अतुल पालीवाल उपस्थित।**

अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद सुनवाई आज के लिए पेश किया गया।

अभियुक्त **कल्याणसिंह** अनुपस्थित। अधिवक्ता **श्री शंकरसिंह सिसोदिया** उपस्थित।

अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद सुनवाई आज के लिए पेश किया गया।

पत्रावली साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर है। साक्ष्य अभियोजन गवाह खुमाण सिंह का जमानती वारंट गवाह के वर्तमान में अपने घर पर नहीं होने एवं कहां गए होने की जानकारी नहीं होने की मौतबीर तस्दीक रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ। साक्ष्य अभियोजन में कोई गवाह उपस्थित नहीं।

प्रकरण में गवाह खुमाण सिंह को न्यायालय द्वारा बार बार तलब किए जाने पर भी गवाह के उसके मकान पर उपस्थित नहीं

न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा

प्रकरण संख्या 19/2026 रे0फो0

राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रकांत

होने एवं वर्तमान निवास स्थान की जानकारी नहीं होने की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुए।

प्रकरण में गवाह खुमाण सिंह को न्यायालय द्वारा बार बार तलब किए जाने पर भी गवाह की वर्तमान निवास की कोई जानकारी नहीं होने से गवाह संख्या 12 खुमाण सिंह की तलबी बंद की जाती है।

सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर साक्ष्य अभियोजन बंद की गई। प्रकरण इस न्यायालय का टारगेट केस है, इसलिए अधिवक्ता अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि आगामी पेशी पर अभियुक्तगण को आवश्यक रूप से उपस्थित रखें।

पत्रावली वास्ते बयान मुलजिम दिनांक 18.03.2026 को पेश हो।